

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 2008/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2008 dated 20 March, 2008 for general information.

Government of Uttarakhand
VITTA VIBHAG
NO. 2008/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2008
Dehradun :: Dated: 20, March, 2008

Notification


WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as amended from time to time and as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased, with effect from 01 April, 2008, to allow the following amendment in Schedule-II(A) of the Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007-

Amendment

In Schedule-II(A) after the existing entry at S.No. 3 the following entry shall be added-

Sl.No.	Description of Goods
1.	2
4.	Atta, Malda, Suji, Pesan and Pulses


(ALOK KUMAR JAIN)
REGIONAL SECRETARY, FINANCE

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
सं० 208/XXVII(8)/वाणि० कर (वैट)/ 2008
दिनांक: देहरादून: मार्च ::20 / 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है, अतएव, अब, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (समय-समय पर यथा संशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की अनुसूची-11(क) में, दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी, निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-11(क) के क्रमांक 3 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी-

क्र०सं०	माल का वर्णन
1.	2.
4.	आटा, मैदा, सूजी, बेसन तथा दालें

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

सं० /XXVII(8)/वाणिज्य कर(वैट)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(सी०एस०सिवालय)
अपर सचिव, वित्त।

अनुभाग
अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड देहरादून
25/3/08